रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 274] नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 1972/ज्यैष्ठ 10, 1894
No. 274] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 1972/JYAISTHA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May 1972

S.O. 396(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme and in continuation of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. S.O. 254E, dated the 1st April, 1972, the Central Government hereby directs that accumulations out of the provident fund contributions, interest and other receipts as reduced by obligatory outgoings, shall be invested in accordance with the following pattern, namely:—

(i)	in Central Government securities	Note less than 45%
(ii)	in State Government securities, the securities guaranteed by the Central Government or the State Governments, in the tax-free Small Savings securities and in the 1 year, 3 year and 5 year Time Deposits in Post Offices.	Balance

2. All re-investment of provident fund accumulations (whether invested in securities created and issued by the Central Government or in savings certificates issued by the Central Government or in securities created and issued by a State Government) shall also be made according to the pattern mentioned in paragraph 1 above.

3. The above pattern will be in force for the period from the 1st June, 1972 to the 30th September, 1972.

[No. G.27035(4)/72-PF.I/II.I]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1972

का० आ० 396(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम के पैरा 52 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 254अ तारीख 1 अप्रैल, 1972 के क्रम में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भविष्य निधि अभिदायों के संचयनों, ब्याज और अन्य प्राप्तियों को बाध्यकर निगमों को कम करके, निम्नलिखित नमूने के अनुसार विनिहित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i)	केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियों में.....	45% से अन्यून
(ii)	राज्य सरकार प्रतिभूतियों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा गारण्टीकृत प्रतिभूतियों में, करमुक्त अल्पबचत प्रतिभूतियों में और डाकघरों में एक वर्षीय, तीन वर्षीय और पंचवर्षीय आवधिक जमाओं में।	शेष

2. भविष्य निधि संचयनों के सभी पुनर्विनिधान (चाहे केन्द्रीय सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाएं या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए बचत प्रमाण-पत्रों में या किसी राज्य सरकार द्वारा सृष्ट और जारी की गई प्रतिभूतियों) भी ऊपर पैरा-1 में उपवर्णित नमूने के अनुसार किए जाएंगे ।

3. उपर्युक्त नमूना प्रथम जून, 1972 से 30 सितम्बर, 1972 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

[संख्या जी-27035(4)/72-पी० एफ०-1/2]

डी० एस० निमि संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972